तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.28/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.4.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी श्री लोकेश सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी– मुज्जपुर हनुमान मन्दिर के पास, मुज्जपुर, पोस्ट मुज्जपुर, तहसील– बनसापर, जिला–भरतपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक, फर्म नमस्ते इण्डिया, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 19.1.2022 को फर्म नमस्ते इण्डिया, एन. एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता/प्रबन्धक लोकेश सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mayonnaise(Everplus) का नमूना संख्या S-1602 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./267/Act/2022/249 दिनांक 08.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.4.2023 को प्रतिवादी फर्म नमस्ते इण्डिया, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम. तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्धक श्री संतोष कुमार चौधरी पुत्र श्री मोरध्वज सिंह, जाति–जाट, निवासी– बिकरु, तहसील– अखेगढ, जिला– भरतपुर व उसके अधिवक्ता श्री महेद्र सिंह ने उपस्थित होकर वकालतानामा एवं फर्म नमस्ते इण्डिया मिड वे, एन.एच.62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम, उथमण–शिवगंज, जिला– सिरोही का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया व जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.4.2023 को उक्त श्री संतोष कुमार चौधरी, प्रबन्धक, फर्म नमस्ते इण्डिया, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम. ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर उसके वकील की बहस सुनी गई। जिन्होंने यह व्यक्त किया कि यह उनका प्रथम अपराध है। प्रतिवादी लोकेश सिंह ने नमस्ते इण्डिया मिड वे ग्रूप की नौकरी छोड दी है। वर्तमान में प्रबन्धक संतोष ... है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही क... अ... कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.28/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.1.2022 को फर्म नमस्ते इण्डिया, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी/प्रबन्धक लोकेश सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी– हनुमान मन्दिर के पास, मुज्जपुर, तहसील–बनसापर, जिला– भरतपरु से खाद्य पदार्थ Mayonnaise(Everplus) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1602 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./267/Act/ 2022/249 दिनांक 08.2.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म नमस्ते इण्डिया, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम. में प्रबन्धक लोकेश सिंह ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mayonnaise(Everplus) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के तहत अमानक खाद्य पदार्थ Mayonnaise(Everplus) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म नमस्ते इण्डिया मिड वे, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, नमस्ते इण्डिया मिड वे, एन.एच. 62, टॉल प्लाजा के पास, पालडी एम. के प्रबन्धक संतोष कुमार चौधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 24.5.2023

(के.आर.खोड़)

सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:43 IST
Reason: SelfAttested